प्रपत्र–23.2

परियोजना का नाम– प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेस–16 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के बसोलीखान चमतोला मोटर मार्ग से नयालधुरा तक मोटर मार्ग।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, भनोली
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत
प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, भनोली

उपखण्ड अल्मोड़ा परिक्षेत्र के अन्तर्गत विधानसभा अल्मोड़ा में **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेस–16 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के बसोलीखान** चमतोला मोटर मार्ग से नयालधुरा तक **मोटर मार्ग लम्बाई** 7.500 **कि0मी0** के निर्माण हेतु शून्य हे0 आरक्षित वन भूमि, 2.275 हे0 सिविल सोयम भूमि, वन पंचायत भूमि शून्य हे0 अर्थात कुल 2.275 हे0 का पी0एम0जी0एस0वाई0 सिचाई खण्ड अल्मोड़ा प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील–भनोली) की दिनांक 24.09.18 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री अवधेश कुमार सिंह उप जिलाधिकारी भनोली अध्यक्ष AKSingh
2– श्री .... उप प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा सदस्य
3– श्री किसन सिंह जड़ौत सहायक समाज कल्याण अधिकारी [signature] सदस्य/सचिव
4– श्री मुन्नी देवी बी0डी0सी0 क्षेत्र मुन्नी देवी सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यो को अवगत कराया गया कि **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेस–16 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के बसोलीखान** चमतोला मोटर **मार्ग से नयालधुरा तक मोटर मार्ग लम्बाई** 7.500 **कि0मी0** के निर्माण हेतु शून्य हे0 आरक्षित वन भूमि, 2.275 हे0 सिविल सोयम भूमि, वन पंचायत भूमि शून्य हे0 अर्थात कुल 2.275 हे0 का पी0एम0जी0एस0वाई0 सिचाई खण्ड अल्मोड़ा प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा

प्रधान,
ग्राम पंचायत नायल धुरा
पो.ओ.-बसोली, वि.ख.-धौलादेवी
जिला-अल्मोड़ा

अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड अल्मोड़ा परिक्षेत्र के अन्तर्गत **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेस–16 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के बसोलीखान चमतोला मोटर मार्ग से नयालधुरा तक मोटर मार्ग लम्बाई** 7.500 कि0मी0 के निर्माण हेतु शून्य हे0 आरक्षित वन भूमि, 2.275 हे0 सिविल सोयम भूमि, वन पंचायत भूमि शून्य हे0 अर्थात कुल 2.275 हे0 का पी0एम0जी0एस0वाई0 सिचाई खण्ड अल्मोड़ा प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

Akc 24/09/18

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–भनोली
जनपद–अल्मोड़ा

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–भनोली
जनपद–अल्मोड़ा

चन्द्री देवी
प्रधान,
ग्राम पंचायत नायल धुरा
पो.औ.-बसोली, वि.ख.-धौलादेवी
जिला-अल्मोड़ा (उत्तराखण्ड)

<u>प्रपत्र–23</u>

<u>परियोजना का नाम–</u> प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेस–16 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के बसोलीखान चमतोला मोटर मार्ग से नयालधुरा तक मोटर मार्ग।

<u>वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र</u>

ग्राम पंचायत का नाम–नायलधुरा
तहसील–अल्मोड़ा, जिला अल्मोड़ा

<u>अनापत्ति प्रमाण पत्र</u>

उत्तराखण्ड के **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेस–16 के अन्तर्गत** जनपद **अल्मोड़ा के बसोलीखान चमतोला मोटर मार्ग से नयालधुरा तक मोटर मार्ग** लम्बाई कि0मी0 के निर्माण हेतु शून्य हे0 आरक्षित वन भूमि, 2.275 हे0 सिविल सोयम भूमि, वन पंचायत भूमि शून्य है0 अर्थात कुल 2.275 हे0 का पी0एम0जी0एस0वाई0 सिचाई खण्ड अल्मोड़ा के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत नायलधुरा द्वारा दिनांक 28/08/2018 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम नापोखरी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 अल्मोड़ा को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम प्रधान

प्रधान,
ग्राम पंचायत नायल धुरा
पो.ओ.-चमोली, वि.ख.-धौलादेवी
जिला-अल्मोड़ा (उत्तराखण्ड)

दिनांक 29/08/2018 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत-- नायलधुरा

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	गोपाल सिंह S/o राम सिंह	
2.	रवीन सिंह S/o लछमण सिंह	
3-	रघड़ू सिंह S/o जमन सिंह	
4.	शेर सिंह S/o रतन सिंह	
5.	गोपाल सिंह S/o आन सिंह	
6.	त्रिलोक सिंह S/o जमन सिंह	
7-	मोहन सिंह S/o लछम सिंह	
8 -	लीला देवी W/o राम सिंह	
9-	सुन्दर सिंह S/o प्रताप सिंह	
10-	हरीश सिंह S/o मदन सिंह	
11-	शेर सिंह S/o जमन सिंह	
12-	लछमण सिंह S/o रतन सिंह	
13-	गोपाल सिंह S/o आन सिंह	
14-	धरम सिंह S/o केशर सिंह	
15.	गोविन्द सिंह S/o भैरव सिंह	
16.	प्रताप सिंह S/o लछम सिंह	

प्रधान,
ग्राम पंचायत नायल धुरा
पो.ओ.-बसोली, वि.ख.-धौलादेवी
जिला-अल्मोड़ा (उत्तराखण्ड)

ग्राम प्रधान

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम– प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेस–16 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के बसोलीखान चमतोला मोटर मार्ग से नयालधुरा तक मोटर मार्ग।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम– नायलधुरा
तहसील–अल्मोड़ा, जिला अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेस–16 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के बसोलीखान चमतोला मोटर मार्ग से नयालधुरा तक मोटर मार्ग लम्बाई कि0मी0 के निर्माण हेतु शून्य हे0 आरक्षित वन भूमि, 2.275 हे0 सिविल सोयम भूमि, वन पंचायत भूमि शून्य है0 अर्थात कुल 2.275 हे0 का पी0एम0जी0एस0वाई0 सिचाई खण्ड अल्मोड़ा के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत नयालधुरा द्वारा दिनांक 29/08/2018 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम चमतोला, नयालधुरा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 अल्मोड़ा को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम प्रधान

प्रधान,
ग्राम पंचायत नायल धुरा
पो.ओ.-बसोली, वि.ख.-धौलादेवी
जिला-अल्मोड़ा (उत्तराखण्ड)

दिनांक 28.08.18 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत– नायलधुरा

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	भीम सिंह S/o श्री गोधनसिंह	भीम सिंह
2	जगत सिंह S/o श्री रतनसिंह	Jagan
3	खीम सिंह S/o लक्ष्मणसिंह	खीम सिंह
4	धरन सिंह S/o लक्ष्मणसिंह	धरन सिंह
5	दलीप सिंह S/o रूपसिंह	दलीप सिंह
6	चन्द्र सिंह S/o हिम्मतसिंह	चन्द्र सिंह
7	नैनसिंह S/o हरसिंह	नैनसिंह
8	मानसिंह S/o अमरसिंह	मान सिंह
9	खड़क सिंह S/o जयमलसिंह	[illegible]
10	मदन सिंह S/o ,, ,,	[illegible]
11	तिलोक सिंह S/o ,, ,,	तिलोक सिंह
12	शेर सिंह सिंह S/o ,, ,,	[illegible]
13	धरम सिंह S/o केशर सिंह	[illegible]
14	प्रताप सिंह S/o गोधनसिंह	प्रतापसिंह
15	सुन्दर सिंह S/o प्रतापसिंह	[illegible]
16	शेर सिंह S/o रतन सिंह	शेर सिंह
17	हरीश सिंह S/o मदनसिंह	हरीश सिंह
18	रमेश सिंह S/o नैनसिंह	रमेश सिंह
19	प्रताप सिंह S/o देवानसिंह	[illegible]
20	किशन सिंह S/o लक्ष्मणसिंह	किशन सिंह
21	चन्द्र सिंह S/o आनसिंह	चन्द्र सिंह
22	गोपाल सिंह S/o आनसिंह	गोपाल सिंह
23		

प्रधान,
ग्राम पंचायत नायल धुरा,
पो.ओ.-गरुड़ सि. -धौलादेवी
जिला-अल्मोड़ा (उत्तराखण्ड)

1.6

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नाम– प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेस–16 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के बसोलीखान चमतोला मोटर मार्ग से नयालधुरा तक मोटर मार्ग।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, भनोली
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत
प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, भनोली

उपखण्ड अल्मोड़ा परिक्षेत्र के अन्तर्गत विधानसभा अल्मोड़ा में **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेस–16 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के बसोलीखान चमतोला मोटर मार्ग से नयालधुरा तक मोटर मार्ग लम्बाई** 7.500 किमी0 के निर्माण हेतु शून्य है0 आरक्षित वन भूमि, 2.275 है0 सिविल सोयम भूमि, वन पंचायत भूमि शून्य है0 अर्थात कुल 2.275 है0 का पी0एम0जी0एस0वाई0 सिचाई खण्ड अल्मोड़ा प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील–**भनोली**) की दिनांक 25.09.18 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री अवधेश कुमार सिंह उप जिलाधिकारी भनोली अध्यक्ष AKSingh
2– श्री .... उप प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा सदस्य
3– श्री किसन सिंह जड़ौत सहायक समाज कल्याण अधिकारी [signature] सदस्य / सचिव
4– श्री मुन्नी देवी बी0डी0सी0 क्षेत्र मुन्नी देवी सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेस–16 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के बसोलीखान चमतोला मोटर मार्ग से नयालधुरा तक मोटर मार्ग लम्बाई** 7.500 किमी0 के निर्माण हेतु शून्य है0 आरक्षित वन भूमि, 2.275 है0 सिविल सोयम भूमि, वन पंचायत भूमि शून्य है0 अर्थात कुल 2.275 है0 का पी0एम0जी0एस0वाई0 सिचाई खण्ड अल्मोड़ा प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा

प्रधान,
ग्राम पंचायत नायल धुरा
पो.ओ.-बसोली, वि.ख.-धौलादेवी
जिला-अल्मोड़ा

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नाम– प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेस–16 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के बसोलीखान चमतोला मोटर मार्ग से नयालधुरा तक मोटर मार्ग।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, भनोली

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण–पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, भनोली

उपखण्ड अल्मोड़ा परिक्षेत्र के अन्तर्गत विधानसभा अल्मोड़ा में **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेस–16 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के बसोलीखान चमतोला मोटर मार्ग से नयालधुरा तक मोटर मार्ग लम्बाई** 7.500 **कि0मी0** के निर्माण हेतु शून्य हे0 आरक्षित वन भूमि, 2.275 हे0 सिविल सोयम भूमि, वन पंचायत भूमि शून्य हे0 अर्थात कुल 2.275 हे0 का पी0एम0जी0एस0वाई0 सिचाई खण्ड अल्मोड़ा प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तारित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील–**भनोली**) की दिनांक 24.09.18 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री अवधेश कुमार सिंह उप जिलाधिकारी भनोली अध्यक्ष AK Singh
2– श्री .... उप प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा सदस्य
3– श्री किसन सिंह जड़ौत सहायक समाज कल्याण अधिकारी [signature] सदस्य / सचिव
4– श्री सुन्ती देवी बी0डी0सी0 क्षेत्र सुन्ती देवी सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेस–16 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के बसोलीखान चमतोला मोटर मार्ग से नयालधुरा तक मोटर मार्ग लम्बाई** 7.500 **कि0मी0** के निर्माण हेतु शून्य हे0 आरक्षित वन भूमि, 2.275 हे0 सिविल सोयम भूमि, वन पंचायत भूमि शून्य हे0 अर्थात कुल 2.275 हे0 का पी0एम0जी0एस0वाई0 सिचाई खण्ड अल्मोड़ा प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तारित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा / पंचायत द्वारा

प्रधान,
ग्राम पंचायत नायल धुरा
पो.ओ.-बसोली, वि.ख.-धौलादेवी
जिला-अल्मोड़ा

प्रारुप–30

Form-1
Government of Uttrakhand
Office of the District Collector : Almora

No. मैमो

Dated 5-11-2018

To WHOwSOEVER IT MAY CONCERN

In complianace of the Ministry of Environment and Forests (MOEF) Government of India's letter No:- 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act. 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be divert ed for non - forest purposes read with MOEF'S letter dated 5th february 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that 2.275 Hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Rural Development Depatment. Uttrakhand for **Construction of Basolikhan Chamtola to Nayaldhura Motor road (lengh 7.500 K.M.) Under PMGSY in Irrigation Division (PMGSY) in Almora district. falls within jurisdiction of Chamtola, Nayaldhura, Punapokhri village (s) in Bhanoli tehsils.**

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 2.275 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the forest Rights committee(s), Gram sabha(s), sub-Division level committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 30, 30.1, 30.2, 30.3 to annexure 30.4

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram sabhas have given their consent to it.

(c) The proposal does not involve recognised rights of primitive Tribal Groups and pre-agricultural communities.

Encl: as above

जिला अधिकारी
(Nitin Singh Bhadauria)
अल्मोड़ा
(Full name and official seal of the District Magistrate)

प्रारुप–30.1

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE
DISTRICT ALMORA (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006

A meeting of the district level committee of Almora district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr Nitin Singh Bhadauria I.A.S. District Magistrate-cum-Chairman, deputy Commissioner Almora on dated ..05..11..2018 At time...11...A.M./P.M. At Almora in which application claiming rights in Mail area measuring 2.275 hect. for the construction of **Basolikhan Chamtola to Nayaldhura** Motor road (lengh 7.500 K.M.) under PMGSY in District Almora of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Bhanoli sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place – Almora
Dated....................

(Nitin Singh Bhadauria)
District Magistrate-cum-Chairman
District Level Committee
DISTRICT ALMORA(U.K.)